**भारत सरकार**
**श्रम और रोजगार मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1342**
**सोमवार, 08 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक)**

**श्रम कानूनों का कार्यान्वयन**

**†1342. श्री राजू बिष्ट:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान श्रम संहिताओं के अनुपालन का सत्यापन करने के लिए पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और उत्तरी दिनाजपुर जिलों के चाय बागानों में किए गए केंद्रीय निरीक्षणों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों में इन निरीक्षणों में दर्ज किये गये श्रम संहिता के उल्लंघनों का ब्यौरा क्या है तथा दोषी चाय बागानों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या सरकार को उत्तर बंगाल के चाय बागानों में चार नए श्रम संहिता-मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता,सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता को लागू करने में हो रही देरी के बारे में पता है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) चाय बागानों, विशेषकर उत्तरी बंगाल क्षेत्र में उक्त श्रम संहिताओं को तेजी से लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**
**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**
**(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)**

(क) और (ख): चाय बागानों में कार्य की स्थितियों का विनियमन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बागान श्रम अधिनियम, 1951 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत किया जाता है। यह अधिनियम अब व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत समाहित हो गया है और दोनों ही 21.11.2025 से लागू हो गए हैं।

इन संहिताओं में व्यापक प्रावधान हैं जिनके तहत नियोक्ताओं को श्रमिकों को आवास, चिकित्सा देखभाल, बीमारी और मातृत्व लाभ, और अन्य सामाजिक सुरक्षा उपाय प्रदान करना आवश्यक हैं। ये संहिताएँ बागानों में और उसके आसपास श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए श्रमिकों के बच्चों के लिए शैक्षिक सहायता, पेयजल, स्वच्छता व्यवस्था, कैंटीन, क्रेच और मनोरंजक सुविधाओं जैसी सुविधाओं को भी अनिवार्य बनाती हैं।

(ग) और (घ): मजदूरी संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020; और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020, सभी को 21 नवंबर, 2025 से लागू किया गया है। ये संहिताएं, एक साथ मिलकर, मजदूरी संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा और श्रम कल्याण के लिए एक एकीकृत ढांचा प्रदान करती हैं, जिससे चाय बागानों सहित सभी क्षेत्रों पर लागू नियामक और निरीक्षण तंत्र मजबूत होते हैं।

*****